<u>आवश्यक/महत्वपूर्ण</u>

<u>संख्या: 86 /2023/1455/2023/1440478/12-2099/161/2021</u>

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकरी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 12 अक्टूबर, 2023**

विषय:-फसलों की उत्पादकता के आंकलन हेतु सांख्यिकी विधि से कराये जाने वाले क्रॉप कटिंग प्रयोगों को भारत सरकार द्वारा निर्मित सी0सी0ई0एग्री0 ऐप के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि फसलों के उपज के अनुमानों का आंकलन उन पर आयोजित फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। इन प्रयोगों के सही-सही सम्पादन से ही उपज के सही अनुमान आंकलित किये जा सकेंगे। यहाँ यह उल्लेख करना प्रांसगिक है कि फसलों के अनुमान के आधार पर प्रदेश में संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाओं के अन्तर्गत बीमित कृषकों की फसलों की क्षति का आंकलन करते हुए क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है।

2. योजनान्तर्गत बीमित कृषकों के लिए क्षतिपूर्ति का निर्धारण सांख्यिकीय विधि से राजस्व कार्मिकों के द्वारा सम्पादित कराए गए फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर प्राप्त उपज के अनुमानों के अनुसार किया जाता है। योजना का क्रियान्वयन, ग्राम पंचायत स्तर को इकाई मानते हुए, कराने के कारण वर्तमान समय में आयोजित होने वाले फसल कटाई प्रयोगों की संख्या में अत्यन्त वृद्धि हुई है, जिसके कारण यह आवश्यक है कि फसल कटाई प्रयोगों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु इनके सम्पादन हेतु पूर्व से प्रचलित सांख्यिकीय विधि के साथ ही साथ तकनीक का भी उपयोग सुनिश्चित किया जाये।

3. उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार के निर्देशानुसार फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता के आंकलन हेतु तथा प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार द्वारा अपने खाद्य नीति के निर्धारण हेतु विकास खण्ड में उपलब्ध क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित मानक के अनुसार रैण्डम विधि से नियोजन करते हुए प्रत्येक विकास खण्ड में मुख्य फसलों के लिए 16 क्राप कटिंग प्रयोग तथा अन्य फसलों के लिए जनपद में 24 क्रॉप कटिंग प्रयोगों का नियोजन किया गया है। विकास खण्ड स्तर पर क्रॉप कटिंग प्रयोगों हेतु चयनित गांव प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत चयनित गांव मे से ही लिए गये हैं।

4. क्राप कटिंग प्रयोगों के सम्पादन हेतु रू0 260/-प्रति प्रयोग दिया जाता है, जिसमें रू0 80/- लेखपाल को मानदेय तथा रू0 80/- मजदूरी के रूप में मजदूर को एवं रू0 100/-सम्बन्धित कृषक को क्षतिपूर्ति के रूप में दिये जाने का प्राविधान है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. भारत सरकार द्वारा फसल बीमा योजनाओं के संचालन हेतु दिनांक 03 अप्रैल, 2023 को जारी एडवाइजरी के प्रस्तर-4(2) में यह व्यवस्था दी गयी है कि सभी प्राथमिक कार्यकर्ताओं जिनके द्वारा सी0सी0ई0एग्री0 ऐप पर क्राप कटिंग प्रयोगों का सम्पादन कराया जायेगा, उन्हें तकनीकी के प्रोत्साहन हेतु रू0 150/- प्रति प्रयोग भारत सरकार द्वारा उनके खाते में अन्तरित किया जायेगा। इस प्रकार लेखपाल को रू0 230/-(80+150) का भुगतान सी0सी0ई0एग्री0 ऐप का उपयोग करने पर दिया जायेगा।

6. क्राप कटिंग प्रयोगों का निरीक्षण जनपद स्तर पर कार्यरत कृषि विभाग के समस्त अधिकारी एवं टी0ए0सी0 तथा राजस्व विभाग एवं विकास विभाग के समस्त अधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से जिलाधिकारी के स्तर से नामित किया जायेगा।

7. अनिवार्य निरीक्षण हेतु नामित अधिकारियों की निगरानी एवं समीक्षा हेतु अपर जिलाधिकारी (भूलेख) को नोडल अधिकारी नामित किया जाय तथा क्राप कटिंग प्रयोगों की समाप्ति के उपरान्त नोडल अधिकारी द्वारा निरीक्षण हेतु नामित अधिकारियों से क्राप कटिंग प्रयोगों की रिपोर्ट प्राप्त कर विस्तृत प्रतिवेदन शासन, राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग को उपलब्ध कराया जाये।

8. मुख्य फसलों के लिए नियोजित प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर 16 क्राप कटिंग प्रयोग व अन्य फसलों के लिए जनपद स्तर पर नियोजित 24 क्राप कटिंग प्रयोगों के मॉनिटरिंग हेतु उक्त अधिकारियों के शत-प्रतिशत अनिवार्य निरीक्षण हेतु डयूटी लगाई जाये।

9. सी0सी0ई0 एग्री ऐप पर शत-प्रतिशत क्राप कटिंग प्रयोग सम्पादित कराने हेतु यह आवश्यक है कि जनपद के भूलेख अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि सी0सी0ई0एग्री ऐप पर समस्त राजस्व कार्मिकों (लेखपालों एवं राजस्व निरीक्षकों) का प्राइमरी यूजर के रूप में रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए। इस सम्बन्ध में शासन एवं परिषद स्तर से निर्देश भी जारी किये गये हैं।

10. आंकड़ों की गुणवत्ता एवं सुतथ्यता के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक तथा तहसील स्तर पर तहसीलदार एवं उपजिलाधिकारी उत्तरदायी होंगें। उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों के द्वारा समय-समय पर बैठक/वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की जाए तथा प्रगति की सूचना राजस्व परिषद एवं शासन को उपलब्ध करायी जाए।

अतः उपयुक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक दशा में वर्तमान खरीफ 2023 मौसम से फसलों की उत्पादकता के आंकलन हेतु सांख्यिकीय विधि से कराए जाने वाले क्राप कटिंग प्रयोगों को भारत सरकार द्वारा बनाए गए सी0सी0ई0 एग्री ऐप के माध्यम से शत-प्रतिशत कराने का कष्ट करें, ताकि भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप क्राप कटिंग प्रयोगों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

भवदीय,

दुर्गा शंकर मिश्र

मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:86 / 2023/1455(1)/2023/1440478/12-2099/161/2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकरी, पी0एम0एफ0बी0वाई0, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डा0 देवेश चतुर्वेदी

अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।